डॉ० सुधीर कुमार सिंह, प्राचार्य, रोहतास महिला कॉलेज सासाराम, ग्रामीण समाजशास्त्र, पत्र संख्या-IV बी०ए०(H), खण्ड-III

और रति है। विवाह के द्वारा व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक, सामाजिक एवं लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। के० एम० कपाड़िया के अनुसार धर्म, प्रजा (सन्तति) और रति (आनन्द) हिन्दू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। "इस परिभाषा से हिन्दू विवाह के तीन उद्देश्य स्पष्ट होते हैं (1) धर्म, (2) प्रजोत्पत्ति (3) रति आनन्द

(1) धर्म :- प्रत्येक ग्रामीण हिन्दू को अपने जीवन काल में अनेक धार्मिक क्रियाएँ और संस्कार सम्पन्न करने होते हैं। इनकी पूर्णता के लिए एक व्यक्ति का विवाहित होना आवश्यक है। अविवाहित व्यक्ति द्वारा सम्पन्न धार्मिक क्रियाएं पूर्ण नहीं मानी जाती।

(2) प्रजोत्पत्ति - हिन्दुओं में संतान का अत्यधिक महत्व है। हिन्दुओं में ऐसी मान्यता है कि पुत्र ही पिता को श्राद्ध, तर्पण, हवन आदि के द्वारा नरक से बचाता है

(3) रति - विवाह का अंतिम उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना है। धर्मशास्त्रों में जीवन के चार उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं। विवाह के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों की पूर्ति होती है

ग्रामीण विवाह संबंधी निषेध (Prohibitions Regarding Rural Marriage) - ग्रामीण लोग विवाह से संबंधित अनेक निषेधों का भी पालन करते हैं जो इस प्रकार हैं:

(1) सपिण्ड बहिर्विवाह - माता की ओर से पांच और पिता की ओर से सात पीढ़ियों के संबंधियों में परस्पर विवाह की मनाही होती है क्योंकि उन्हें सपिण्डी माना जाता है

(2) गोत्र बहिर्विवाह - अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानने वाले सगोत्री होते हैं। अतः वे परस्पर भाई-बहिन होते हैं और उनमें विवाह करना मना होता है।

(3) जाति अन्तर्विवाह - ग्रामीणों में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या उपजाति के बाहर विवाह नहीं करता है। वहां अन्तर्जातीय विवाह नहीं होते।

(4) गांव बहिर्विवाह - पंजाब एवं उत्तरी भारत के गांवों में एक व्यक्ति को अपने ही गांव में विवाह करने की मनाही होती है। दक्षिण भारत के गांवों में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।

ग्रामीण विवाह के स्वरूप (Forms of Rural Marriage) -

(1) एक विवाह - इसका अर्थ है एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। उसकी मृत्यु के बाद वह दूसरा विवाह कर सकता है, किंतु पति की मृत्यु के बाद उच्च जातियों में विधवा स्त्री को पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं दी जाती।

(2) बहु-विवाह - बहु-विवाह से तात्पर्य है - एक समय में एक से अधिक स्त्री-पुरुषों का विवाह साथी के रूप में सम्मिलित होता। बहु विवाह के अनेक प्रकार हैं - जब एक पुरुष एक समय में दो पत्नियाँ रखता है तो वह द्वि-विवाह कहलाता है। दो से अधिक स्त्रियों से विवाह बहु-~~प्रथा~~ पत्नी प्रथा कहलाती है। एक समय में एक ~~ही~~ स्त्री दो या अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह प्रथा कहते हैं।

कई गांवों में विवाह के अनेक अन्य ~~रूप~~ रूप भी देखे जा सकते हैं, विधुर अथवा विधवा द्वारा पुनः विवाह करवाई, करेवा अथवा नाता के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत के गांवों में ममेरे-फुफेरे भाई-बहिनों में विवाह हो जाता है। गांवों में साली विवाह और देवर विवाह भी पाया जाता है। गांवों में विनिमय विवाह एवं कन्या हरण करके विवाह करने की प्रथा भी पाई जाती है।